

प्र. 16.

श्री अमोल गाँगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग केन्द्र 2 समदाय केन्द्र,
श्रीति बिहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तथानु: दिनांक 5 अगस्त, 1994

विषय:- आजाद बालिक स्कूल, आजादनगर, बुलन्दशहर को तीसरी संस्था
ई० नई दिल्ली से त म बंधाता हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र दिये
जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि
आजाद बालिक स्कूल आजादनगर, बुलन्दशहर को तीसरी संस्था ई० नई दिल्ली
से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्न नतिजात
प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

- 11। विद्यालय की पंजीकृत तोताइकी का तत्त्व तथ्य पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 12। विद्यालय की प्रशासक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा
नामित एक सदस्य होगा ।
- 13। विद्यालय में कम से कम एक प्रतिभात स्थान अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हे
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित
विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क
से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14। संस्था द्वारा राज्य सरकार से कि ती अनुदान की माँग
नहीं की जायेगी और यदि वही में मन्त्रालय माध्यमिक शिक्षा
परिषद से / वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है
तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा
परिषद/ कोसिल फार दि इंडियन स्कूल सचिवालय
इक्यामिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा
परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होनेकी तिथि से परिषद
से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्थतः समाप्त
हो जायेगी ।

- 151 तहें द्या गीदिक एवं गिद्यानोत्तर कर्मचारियों को राजकीय तह वता प्राप्त गिद्यान संस्थाओं के कर्मचारियों को अ नुमन्व धेतनमानों तथा अन्य भातों से कम धेतनमान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें तहवता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्व सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिजर्व्ड निवारितपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था को संवत्सरा देने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि ⁽¹⁾ विद्यालय में कार्यरत समस्त गिद्यान प्रशिक्षित तथा उर्ध्व हैं ।

121 विद्यालय में ईश्वरीय स्फुट योजना लागू है ।

131 य हुंदा ग्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनिम्न की व्यवस्थानुसार धेतन दिया जा रहा है । उक्त संबंध में शासन को तीन माह के भीतर सूचना उपलब्ध करायी जाय ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या गिद्यानता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भावदीय,

। अगोष्ठ गीगुली ।
उप सचिव ।

सू० तहें-73811/15-7-94 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- गिद्यान निदेशक, उ० प्र० ल खान्ड ।
- 2- मंडलीय उप गिद्यान निदेशक मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कुन्दागहर ।
- 4- निरीक्षक, अगुल भारतीय विद्यालय उ० प्र० ल खान्ड ।

उत्तर, आजाद पब्लिक स्कूल, आजादनगर, कुन्दागहर ।

आजा है,
। अगोष्ठ गीगुली ।